राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
28वीं बैठक - दिनांक : 06 मार्च, 2009 का कार्य वृत्त

उत्तराखंड में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2008 तक की गई प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य के मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पाण्डे की उपस्थिति में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 28वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 06 मार्च, 2009 को श्री शरद शर्मा, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन श्री पाण्डे तथा उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में मुख्य अतिथि श्री इंदु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव, श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), श्री डी.पी.एस. राठौर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री पी. दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एवं श्री मनोज शर्मा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय का संबोधन</u>

श्री शरद शर्मा महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मण्डल ने मुख्य अतिथि, वरिष्ठ तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैठक में उपस्थित समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता हेतु विशेष आभार प्रकट किया। इस क्रम में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2008 तक की गई प्रगति के समेकित आँकड़ों के विषय में संक्षिप्त में जानकारी उपलब्ध कराई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि **ऋण-जमा अनुपात** जो कि बहुचर्चित विषय है जून, 2008 में लगभग 44 प्रतिशत से गिरकर सितम्बर, 2008 तिमाही में लगभग 40 प्रतिशत हो गया तथा दिसम्बर, 2008 में यह घट कर मात्र 35 प्रतिशत रह गया है। इसका मुख्य कारण उन्होने पिछली तिमाही में बैंकों में अनपेक्षित जमा राशि में वृद्धि को बताया। उन्होने सभा को अवगत कराया हालाँकि ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हुई है तथा इस तिमाही में पिछली तिमाही की अपेक्षा ऋण वितरण 10.69 प्रतिशत अधिक रहा है। लेकिन जमा राशि जो कि पिछली तिमाहियों में 5 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी वह इस तिमाही में 30 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जो कि एक असाधारण वृद्धि है। संभवतः जो निवेश रियल इस्टेट / हाऊसिंग / स्टॉक मार्केट में हो रहा था वह इस तिमाही में जमा राशि के रुप में बैंकों में आ गया जिस कारण राज्य का जमा-ऋण अनुपात कम हुआ है। हालाँकि आर्थिक मंदी के बावजूद कृषि ऋण में वृद्धि हुई है। अगली तिमाही में अगर सेवा तथा विनिर्माणक क्षेत्र (Service & Manufacturing Sector) में ऋण ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि दर्ज हो जाए तो राज्य में ऋण-जमा अनुपात में और सुधार होने की पूर्ण संभावना है।

अध्यक्ष महोदय ने आगे अवगत कराया कि **वार्षिक ऋण योजना 2008-09** के वार्षिक लक्ष्य रु. 4428.84 करोड़ के सापेक्ष में दिसम्बर, 2008 तक समस्त बैंकों ने रु. 2631.37 करोड़ लगभग 60 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त की है। इस संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 73 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का उन्होने विशेष उल्लेख किया। उन्होने आगे अवगत कराया हालाँकि सभी बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत संतोषजनक कार्य किया है परंतु तीन बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के सापेक्ष में 10 प्रतिशत से कम की उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वार्षिक ऋण योजना के पूर्ण लक्ष्य मार्च, 2009 तक अवश्य प्राप्त कर लें।

अध्यक्ष महोदय ने सभा को अवगत कराया कि **किसान क्रेडिट कार्ड योजना** के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 50,000 के सापेक्ष में सभी बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2008 तक 49,176 काड्र्स जारी कर रु. 460 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक का विशेष उल्लेख करते हुए उन्होने बताया कि वार्षिक लक्ष्य 9500 के सापेक्ष में दिसम्बर, 2008 तक 12300 किसान क्रेडिट काड्र्स जारी किए गए हैं।

उन्होने उपस्थित निदेशक, पर्यटक का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि **वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** इस राज्य के लिए एक उपयोगी योजना है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पर्यटन इस राज्य में व्यापार एवं रोजगार बढ़ाने के लिए एक अत्यंत बुनियादी माध्यम है और पर्यटन बढ़ाने हेतु अधोसरचनात्मक सुविधाएं (Infrastructure facilities) विकसित करने की आवश्यकता है। यह तब संभव होगा जब हम परिवहन संचालकों के अलावा अन्य क्रियाकलापों को भी अधिक वित्तपोषित करें। उन्होने आगे बताया कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 660 आवेदन पत्रों के सापेक्ष में बैंकों को मात्र 402 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में उन्होने आग्रह किया कि बैंकों को अधिक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र भेजे जाएं ताकि वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो सके।

एम.एस.एम.ई. के संबंध में उन्होने बताया कि सभी बैंकों को लगभग 3500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी आवेदन पत्रों द्वारा लगभग रु. 450 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने लगभग रु. 200 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं। उन्होने आगे अवगत कराया कि आर्थिक मंदी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने लगभग 600 ऋण खातों में **रिस्ट्रक्चरिंग एवं रिफेसमेंट** किया है ताकि ऋणियों के खातों में अनियमितता न हो तथा उन्हें किसी अन्य प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य में **पहली रुडसेटी** जैसी संस्था हवालबाग, अल्मोड़ा जिला में दिनांक 02 अक्तूबर, 2008 में प्रारम्भ कर दी थी। हाल ही में दिनांक 19 फरवरी, 2009 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हरिद्वार जिले में रुडसेटी जैसी संस्था प्रारम्भ की गई है। पौड़ी जिले में यह संस्था भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है। उन्होने शासन से अनुरोध किया कि उत्तरांचल ग्रामीण बैंक को जिला पिथौरागढ़ तथा बैंक ऑफ बड़ौदा को जिला उधम सिंह नगर में वहाँ स्थित एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स पर बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं ताकि इन जिलों में रुडसेटी जैसी संस्था दिनांक 31 मार्च, 2009 से पहले उपरोक्त बैंकों द्वारा प्रारम्भ की जा सके।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक की गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छठा **शिक्षा एवं सलाहकार केंद्र** जिला उत्तरकाशी में हाल ही में प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिक्षा एवं सलाहकार केंद्र जिला पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी में स्थापित किए गए हैं।

उन्होने शासन के उच्चाधिकारियों से आग्रह किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वाणिज्यिक बैंकों की **तिजोरी शाखाओं की सुरक्षा** का कार्य राज्य सशस्त्र पुलिस को चरणबद्ध रुप से सौंप जाना है। इस संबंध में उन्होने राज्य शासन के उच्चाधिकारियों से तिजोरी शाखाओं पर सशस्त्र पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की।

उन्होने सभा को आगे अवगत कराया कि **जिलाधिकारी, नई टिहरी** ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि वहाँ बसे विस्थापितों को सरकार द्वारा अभी तक उन्हें जमीन आवंटन की स्वात्वाधिक प्रलेख (टाइटल डीड्स)

नहीं दी गई है। इसकी वजह से उन्हें साम्यमूलक बंधक (इक्वीटेबल मार्टगेज) द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा में व्यवधान आ रहा है। स्वात्वाधिक प्रलेख (टाइटल डीड्स) की अनुपलब्धता के कारण ऋण प्राप्त करने हेतु उन्हें पंजीकृत बंधक (रजिस्टर्ड मार्टगेज) करवाना पड़ता है जिस पर मोहर शुल्क (एडवालरम स्टॉम डयूटी) लगती है। उन्होने शासन से अनुरोध किया कि उपर्युक्त कठिनाइयों का निवारण करने हेतु शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाए। अंत में उन्होने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री डी.पी.एस. राठौर, क्षेत्रीय निदेशक, आर.बी.आई.

श्री राठौर ने मुख्य अतिथि, वरिष्ठ तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैठक में उपस्थित समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए उन्हे इस बैठक में आमंत्रित करने तथा सभा को संबोधित करने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को धन्यवाद दिया। उन्होने सभा को अवगत कराया कि **ऋण-जमा अनुपात** ऋण प्रवाह का एक सामान्य सूचक है। राज्य में इस तिमाही में ऋण-जमा अनुपात में लगभग 5 से 6 प्रतिशत कम हुआ है लेकिन इस विषय को राज्य में हो रहे जमा के तीव्र वेग के सापेक्ष में लेना होगा। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना का भी ऋण-जमा अनुपात पर असर पड़ा है। प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात की स्थिति को बहुत खराब न बताते हुए उन्होने कहा कि अवश्य ही यह एक चेतावनी है। उन्होने कहा कि सभी बैंकों को ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास एवं उपाय करने होंगे। उन्होने आगे कहा हालाँकि देश में **आर्थिक मंदी** का प्रभाव दिखने लगा है परंतु हमारे वित्तीय संस्थाएं और बैंक इस संकट से उभर में काफी समृद्ध / समक्ष (रेजीलेंट) हैं तथा सभी के संयुक्त प्रयासों से इस कठिनाई से निजात पाया जा सकता हैं। उन्होने आगे अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जैसे - सीआरआर, एसएलआर में कमी, रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज दरों में कमी, विशेष विनयमित उपाय (स्पेशल रेगूलेट्री डिसपेंसेशन) इत्यादि। इन उपायों के कारण देश की वित्तीय प्रणाली में लगभग रु.428000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और चलनिधि (लिक्विडिटी) में सुधार आया है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा एम.एस.एस. (कैश खातों) से 45000 करोड़ की धनराशि दिनांक 31.03.2009 तक जारी की जानी है। उपरोक्त उपायों के उपरांत वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी की शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि अब बैंकों को यह देखना है कि उपरोक्त उपायों से ऋण की उपलब्धता सुचारु एवं प्रभावी ढंग से ऋणी तक कैसे पहुँचाई जाए। इस विषय को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से नियमित अंतराल पर अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होने सभी बैंकों को ग्रहकों की अपेक्षा पर खरे उतरने पर जोर दिया।

रुडसेटी जैसी संस्थाओं की स्थापना के संबंध में उन्होने अवगत कराया कि अभी तक राज्य में केवल 2 रुडसेटी संस्थाएं ही कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में प्रदान प्रशिक्षण केवल कुछ ही मदों तक सीमित हैं तथा पाठ्यक्रम भी पूर्ण रुप से निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होने संबंधित बैंकों तथा नाबार्ड से इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि ऋण का प्रवाह उपेक्षित वर्ग की तरफ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होने सभा को आगे अवगत कराया कि विभिन्न बैंकों की जमा एवं ऋण योजनाओं का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया है कि बैंकों द्वारा औपचारिक नियम एवं विनियम अगर पूर्ण रुप से अनुव्रत न किए जाएं तो ग्राहक पूर्ण रुप से संतुष्ट नहीं होते जिससे बैंकों को क्षति हो सकती है।

जहाँ पर अगर बैंकों द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम पूर्ण रुप से स्पष्ट न हों वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक से मिल-जुल कर निर्णय लिया जा सकता है। अंत में उन्होने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री राठौर के संबोधन के उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के **दिसम्बर, 2008 तक के त्रैमासिक आँकड़े** एवं आई.बी.ए. का **''आर्थिक पैकेज''** में माह फरवरी, 2009 तक हुई प्रगति के आँकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके उपरांत हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, देहरादून द्वारा राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से **25 महिला सदस्यों को आंध्र प्रदेश में सीख एवं समझ बढ़ाने हेतु** किए गए एक सप्ताह के **शैक्षिक भ्रमण** से संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी गई।

श्री पी. दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड का संबोधन -

श्री दास ने मुख्य अतिथि, वरिष्ठ तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैठक में उपस्थित समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि हाल ही में नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि आर्थिक मंदी का असर हमारे राज्य में अभी नहीं हुआ है तथा बैंक वसूली में सुधार परिलक्षित है। उन्होने **वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** के संदर्भ में कहा कि इस योजना में विविधिकरण तथा कल्सटर एप्रोच की आवश्यकता है। उन्होने सुझाव दिया कि गैर-सरकारी संस्थाओं की देखरेख में यात्रा मार्गों पर कुछ गाँवों में स्थानीय नागरिकों को कौशल विकास, प्रबंधन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आवास पर पर्यटकों के लिए विश्राम गृहों के निर्माण हेतु ऋण देने से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं।

उन्होने आगे अवगत कराया कि **रुडसेटी** जैसी संस्थाओं के परिचालन हेतु नाबार्ड द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन (बी.पी.एल.) करने वाले परिवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर संबंधित बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्होने अवगत कराया कि **कृषक क्लब** बनाने से संबंधित बैंकों को नाबार्ड द्वारा 3 वर्ष तक रु. 10,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कृषक क्लब को स्वयं सहायता समूहों तथा कृषकों से व्यवसाय प्राप्त करने का एक सशस्त माध्यम बताते हुए उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा कृषक क्लब खोलें। साथ ही उन्होने यह अवगत कराया कि नाबार्ड बैंकों द्वारा **कृषक प्रशिक्षण केंद्र** खोलने पर 50 प्रतिशत तक के व्यय या अधिकतम रु. 15 लाख की आर्थिक सहयता प्रदान करता है।
अंत में समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री अलोक जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) का संबोधन

श्री जैन ने मुख्य अतिथि, वरिष्ठ तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैठक में उपस्थित समस्त सहभागियों का स्वागत किया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को एक महत्वपूर्ण फोरम बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा उप-समितियों में करना आवश्यक है ताकि इन योजनाओं में अपवादों एवं गतिरोधों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दूर कर इन योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करना संभव हो सके। उन्होने इन उप-समितियों को जिला स्तर पर सक्रिया करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

साथ ही उन्होने यह कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित **पी.पी.पी. योजनाओं** में बहुत से पहल लागू किए हैं जो कि सफल हो रहे हैं। लेकिन आर्थिक मंदी के फलस्वरुप **''चलनिधि'' के अभाव** की शंका के दुष्प्रभावों से इन योजनाओं को सभी बैंकों के सहयोग से बचाना होगा। बैंकों को ऋण-जमा अनुपात के आँकड़ों का विस्तृत विश्लेषण कर ऋण-जमा अनुपात को सुधारने का संयुक्त प्रयास करना होगा। अंत में धन्यवाद देते हुए उन्होने अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री इंदु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव का संबोधन

श्री पाण्डे ने गणमान्य अतिथियों सहित बैठक में उपस्थित समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि बैठक के प्रारम्भ से ही ऋण-जमा अनुपात, जो कि एक महत्वपूर्ण सूचक है पर चर्चा विभिन्न वक्ताओं द्वारा की गई है। पिछली तिमाही में जमा राशि में अनपेक्षित वृद्धि के कारण इसमें गिरावट आई है। परंतु राज्य का **ऋण-जमा अनुपात** भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्ड से बहुत कम है इस कमी को दूर करने के लिए बैंकों को रणनीति तैयार करनी होगी। उन्होने आगे अवगत कराया कि प्रदेश में औद्योगिकरण के फलस्वरुप कई उद्योग उत्पादन चरण में आ गए हैं। अब यह आवश्यकता है कि उनकी कार्यशील पूँजी हेतु बैंकों द्वारा उन्हें सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाए ताकि ऋण-जमा अनुपता में और सुधार आ सके। उन्होने आगे कहा कि आर्थिक मंदी की वजह से पावर और आई.टी. सेक्टर में जितनी निवेश की आशा थी उसमें कमी हुई है। **पी.पी.पी. योजनाओं** के लिए राज्य सरकार ने व्यवहार्यता (वायबिलिटी गैप) में कमी को दूर करने हेतु सरकारी वित्तपोषण की योजनाएं तैयार की है जिसके लागू होने से ऋण-जमा अनुपात में सुधार होने की पूर्ण आशा है।

उन्होने आगे कहा कि जहाँ तक **तिजोरी शाखाओं** में **सशस्त्र पुलिस कर्मी** तैनात करने की बात है उनके द्वारा संबधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होने बैंकों को विशेषतः संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा के लिए प्राथमिक बचाव जैसे - सी.सी.टी.वी., सर्वेविलेंस उपकरण इत्यादि लगवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होने आगे कहा कि जिला नई टिहरी में जमीन के आवंटन के संबंध में शीघ्र ही समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि **शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन** के उपरांत हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी योजनाओं की आवश्यकता है। उन्होने सुझाव दिया कि अगर जिला स्तर ऋण समिति के समक्ष इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो उसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसका निवारण किया जा सके।

उन्होने राज्य में **पर्यटन** को बढ़ाने हेतु दिए गए सुझावों की प्रशंसा करते हुए पर्यटन विभाग से आग्रह किया कि पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र बैंकों को प्राप्त कराने के विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होने देश में चल रहे आर्थिक मंदी के दौर की चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना स्थानीय स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप एवं रोजगार सृजन करने में सहायक होगी।

उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन **''बैंकिंग आउटरिच इन उत्तराखंड''** में दर्शाए गए बिंदुओं को बैंकों एवं शासन द्वारा प्रभावी तरीके से लागू करने का आह्वान किया। अंत में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए उन्होने अपने संबोधन को विराम दिया।

श्री मनोज कुमार शर्मा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि ऋण इकाइयों की **रिस्ट्रक्चरिंग** हेतु तथा आई.बी.ए. के **''इकोनोमिक पैकेज''** के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुपालन की समीक्षा जिला स्तर पर जिला स्तरीय ऋण समिति द्वारा, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा तथा केंद्रीय सरकार द्वारा में हर माह की जा रही है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इस संदर्भ में आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएं।

पर्यटन विभाग के शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होने **वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** के ऋण खातों में बढ़ती गैर निष्पादित अस्तियों एवं बैंकों को वसूली में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऋण वापसी अवधि को बढ़ाने तथा सब्सिडी को यथासमय बैंकों को उपलब्ध करावाने पर जोर दिया। इस विषय पर उपस्थित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के विचारों का

आदान-प्रदान हुआ। निदेशक, पर्यटन ने उपरोक्त मुद्दों को सक्षम अधिकारी के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।

श्री सुरेश चंद शर्मा, अधिकारी ग्राम्य विकास ने सदन को अवगत कराया कि रुडसेटी जैसी संस्था प्रारम्भ करने हेतु उनके विभाग ने विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों पर बैंकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं । उन्होने रुडसेटी जैसी संस्था की स्थापना के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राम्य विकास विभाग को तुरंत प्रस्तुत करने का कहा।

अधिकारी, समाज कल्याण विभाग ने सदन को अवगत कराया कि **''स्वच्छकार पुनर्वास योजना''** दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 31 मार्च, 2009 से पहले कर उन्हें तुरंत सूचित करने को कहा ताकि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सभा में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा सूचित किया गया कि जिन किसानों को **कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना** के अंतर्गत माफी / राहत दी गई है। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध ज**ारी वसूली प्रमाण पत्र पर वसूली शुल्क** माफ करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इण्डिया के उपस्थित शीर्ष अधिकारी ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों की आधिकृत फसलों का बीमा किया जाए ताकि किसानों को दुर्गम परिस्थितियों में इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

हुडा (HUDA) के अधिकारी ने सदन को सूचित किया कि **स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना** अगले वित्तीय वर्ष से पुनरीक्षित हो रही है। अतः इस योजना के अंतर्गत बैंकों को प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 31.03.2009 तक करना आवश्यक है क्योंकि बचे हुए आवेदन पत्र अगले वित्तीय वर्ष में वैद्य नहीं माने जाएंगे। उन्होने सभी बैंको को इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया।

सभा के अंत में उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को **आगामी बैठक हेतु सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 15 अप्रैल, 2009 तक** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ठ अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।